बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग- १ कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

(बुधवार, तिथि ७ जुलाई १९७६ ई० ।)

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ II के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर ।	१-२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : २० एवं २१	२—१४
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ५६५, ९७०-९७४, ९७६, ९८५, ९८८-९९३, ९९७, ९९९, १००१, १००३-१००६, १००९-१०११, १०१५, १०१६, १०२०-१०२२, १०२४, १०२६, १०२७, १०३०, १०४१ ।	१४—६०
अतारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :	
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	६१—१४६
दैनिक निबंध	१४७-१४८

टिप्पणी : —जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है ।

श्री जयनारायण—आडिट रिपोर्ट में जो ओबजेक्शन है उसको मीट करने का मौका विभाग ने सम्बन्धित व्यक्ति को दिया और उस पर कोई स्पष्टीकरण मिला या ऐसे ही निर्णय लेकर एप्रूव कर दिया गया ?

डा० रामराज प्रसाद सिंह—ये सारी बातें की जायेगी उनको मौका दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या १२०, ५६० एवं ५६१ के सम्बन्ध में चर्चा।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कागज तैयार हो गया लेकिन उसका वितरण नहीं हो सका। इसलिये मुझे अगली तिथि के लिए समय दिया जाय।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—इसका भी कागज वितरण नहीं हो सका इसलिये इसमें भी अध्यक्ष महोदय, मुझे समय चाहिए।

श्री राजेन्द्र नाथ दां—अध्यक्ष महोदय, दोनों स्थगित प्रश्न हैं और स्थगित प्रश्न में भी ऐसा होता रहेगा तो आगे का जवाब कैसे आएगा।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हुआ था, कागज बांट देने के लिए हम तैयार हो गए, लेकिन कुछ लेट होगया और आपके यहां से कहा गया कि वितरण नहीं हो सकेगा। इसलिये अच्छा है कि माननीय सदस्यगण सारी बातों की जानकारी हासिल कर लें और उसके बाद ही सप्लीमेंटरी करें।

श्री जनार्दन तिवारी—अच्छा, ठीक है।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में ५—७ स्थगित प्रश्न हैं और वे ही स्थगित होते जायेंगे और उसका जवाब नहीं आएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जायेगा।

अध्यक्ष—एक बात की खबर और मैं दे दूं कि यह प्रश्न विभाग में भेजा गया ४ जून, १९७६ को और आज है ७ जुलाई, १९७६ एक महीना से ज्यादा हो गया।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया, लेकिन माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हुए। आपने कहा कि विस्तृत उत्तर के साथ कागज का वितरण

करवा दीजिये। आपकी आज्ञा हुई कि कागज को बंटवा दें। हमारे यहां पांच-सात पेज का प्रतिवेदन है, उसे मैं बंटवा दूंगा।

अध्यक्ष—अध्यक्ष को यह उम्मीद है पहले ही से कि सबको, जिससे सन्तोष हो जाय, उस तरह का उत्तर दें।

डा० रामराज प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो बराबर यही रहती है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को उस दूर तक सन्तुष्ट नहीं कर पा रहा हूं।

श्री रमेश झा—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ५६० जो है वह कुछ ही कालेज से संबंधित है। लिखित उत्तर हमलोगों को नहीं वितरित हुआ है, तो मंत्री जी के पास संचिका है, इसका उत्तर सदन में आना चाहिए।

अध्यक्ष—मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले पहल यह प्रश्न आया था आप अनुपस्थित थे और इसीलिए इस तरह का पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। इस पर बहुत हो चुका है, लेकिन हो सकता है कोई गम्भीर बात बाकी हो।

(श्री चन्द्रदेव प्रसाद स० वि० स० के अनुपस्थिति में श्री हेमन्त कुमार झा ने इसको पूछा)।

श्री करम चन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, यह ३० जून, १९७६ को भेजा गया था। इसमें आपका निर्देश था कि जिलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करें। हमलोगों ने काफी प्रयास किया और टेलिफोन से भी बातें की गयीं। मैंने भी व्यक्तिगत रुप से टेलीफोन पर बातें की, लेकिन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो सका।

श्री हेमन्त कुमार झा—अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि यह प्रश्न स्थगित हुआ था। इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी को कब से स्मार दिया जा रहा है और उत्तर के क्रम में यह आया था कि काफी दिनों से स्मार दिया जा रहा है।

(इस अवसर पर सदन में हल्ला होने लगा, क्योंकि मंत्री महोदय और श्री हेमन्त कुमार झा एक साथ खड़ थे।)

श्री रामजी सिंह—मंत्री महोदय भी खड़े हैं और माननीय सदस्य भी खड़े हैं, कोई एक आदमी बैठ जायं।

श्री करमचन्द भगत—चूंकि स्मार-पत्र दिया गया है, और इसका उत्तर पहले ही दे दिया गया था।

अध्यक्ष—क्या दिया गया था ?

श्री करमचन्द भगत—इस सम्बन्ध में प्रश्न आने के पहले जो कार्रवाई की गयी थी, पिछली ३० तारीख ·····।

अध्यक्ष—आपने यह कहा कि बार-बार स्मार दिया।

श्री करमचन्द भगत—जी हां।

अध्यक्ष—और माननीय सदस्यों की राय है कि स्मार का स्मारक बना दिया है। और अध्यक्ष ने अन्त में ऐसा अनुरोध सरकार से किया था, माननीय मंत्री, आपके जो सचिव हैं, उनसे आप कहिए कि वायरलेस से या जैसे हो खबर दें, डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट को कि निश्चित तिथि तक इसकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। आज मैं स्थगित करता हूं, अगली तिथि को आप एक-न-एक जवाब दीजिए रिपोर्ट के आधार पर। इस तरह से लाचारी जाहिर करने से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, आपके निदेश के बाद सचिव ने टेलीग्राम दिया और उससे बाद मैंने जिलाधिकारी से टेलीफोन पर बात की थी। सूचना मिली कि वहां से स्पेशल मैसेन्जर रिपोर्ट लेकर चल चुका है, लेकिन कल शाम तक और आज सुबह तक हमको प्राप्त नहीं हुई है।

(इस अवसर पर सदन में हल्ला होने लगा।)

श्री चतुरानन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर के मंत्री को ऑफिसर लोग मंत्री ही नहीं समझते हैं इसलिए इसमें मुख्य मंत्री को मदद करनी चाहिए, मंत्री को।

श्री हेमन्त कुमार झा—अध्यक्ष महोदय, ठीक है, दिक्कत होती है। २-२ वर्षों से जिलाधिकारी जवाब नहीं देते हैं। जवाब के लिए काफी स्मार भी दिया जाता है, टेलीफोन भी किया गया, लेकिन जवाब नहीं आया। इसमें समय दिया जाय और एक बार और कोशिश करके देखा जाय।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्य एक साथ उठ कर बोलने लगे।)

श्री अनिरुद्ध झा—अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी इन्हें मंत्री ही नहीं समझते हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, अब तो यह पता लगाना होगा कि वहां से जो मैसेन्जर जवाब लेकर चला है वह जिन्दा है, या मर गया या किडनैप कर लिया गया है—इसकी क्या स्थिति है और इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट हुई या नहीं ?

(हल्ला)।

श्री करमचन्द भगत—अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय दिया जाय। जैसा कि हमें सूचना मिली है कि वहां से मैसेन्जर चल चुका है लेकिन आज तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अगली तिथि तक के लिए समय दिया जाय, इसका जवाब दिया जायगा।

श्री रामजी सिंह—अध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे मंत्रियों की मुख्य मंत्री रक्षा करें।

श्री शकूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको डी० एम० से कब बात हुई थी कि वहां से स्पशल मैसेन्जर चल चुका है।

श्री करमचन्द भगत—कल जब विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ, तब मैं अपने औफिस गया और सभी प्रश्नों के बारे में हम रिभ्यू कर रहे थे। विभाग के हमारे सेक्रेटरी ने कहा उनसे हमारी बातें टेलीफोन से हुई हैं। इसके बाद औफिस में कल शाम को मैंने टेलीफोन लगाया तब उन्होंने कहा कि यहां से स्पेशल मैसेन्जर चल चुका है। मैंने सबेरे तक इन्तजार किया, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं मिल सकी है।

अध्यक्ष—ठीक है। छोड़िये।

तारांकित प्रश्नोत्तर :

पेयजलापूर्त्ति योजना।

*५६५। श्री युगल किशोर प्रसाद—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए १९७४-७५ वर्ष में एक योजना सरकार द्वारा बनायी गयी थी जिसपर अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार गया नगरपालिका क्षेत्र में शीघ्र पेयजल की आपूर्त्ति हेतु उक्त योजना को कबतक पूरा करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?